रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112025-267550
CG-DL-E-11112025-267550

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 745]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 2025/कार्तिक 19, 1947
No. 745]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 2025/KARTIKA 19, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 831(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (केंद्रीय सेवा वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1963, को जहां तक उनका संबंध प्रकाशन उत्पादन अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में प्रकाशन उत्पादन अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (प्रकाशन उत्पादन अधिकारी) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन सारणी में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे

संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह का संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रकाशन उत्पादन अधिकारी।	1 (2025)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (67700-208700 रुपये) ।	लागू नहीं होता।	चालीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिलनीय है।) टिप्पण : संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की

			प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि; और (ii) मुद्रण प्रौद्योगिकी में पाँच वर्ष का अनुभव; अथवा (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; और (ii) मुद्रण प्रौद्योगिकी में आठ वर्ष का अनुभव। वांछनीय: पुस्तकों आदि के प्राक्कलन और विक्रय में दो वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1.– अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। टिप्पण 2.– अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो संघ लोक सेवा आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पणः सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रारंभिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा; यदि विफल रही, तो सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्वायत्त निकाय	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	सीधी भर्ती द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति के प्रत्येक प्रसंग में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।

या कानूनी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी - (क) (i) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण कर रहे हैं, अथवा (ii) जिन्होंने संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो, (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। टिप्पण 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	1. संयुक्त सचिव, संरक्षण और सर्वेक्षण-II प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक अथवा उप निदेशक (प्रशासन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य; 3. निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता- सदस्य।	

[फा. सं 01/02/2021-सीएसजेड]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2025

G.S.R. 831(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Central Service Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1963, in so far as they relates to the post of Publication Production Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Publication Production Officer in the Zoological Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Zoological Survey of India (Publication Production Officer) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Publication Production Officer.	1 (2025)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Not applicable.	Not exceeding forty years of age (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Essential: (a)(i) Bachelor degree in Printing Technology from a recognised university or recognised Institute; and (ii) Five years experience in printing technology; or (b)(i) Diploma in Printing Technology from a recognised university or recognised institute; and (ii) Eight years experience in printing technology. Desirable: Two years' experience in Estimation and sale of books, etc.

						Note#1.- The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note#2.- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission, is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two Years.	By deputation	Deputation (including	Group 'A'	Consultation

applicable.	Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation for direct recruits as prescribed by the Central Government.	(including short-term contract), failing which by direct recruitment.	short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organization or public sector undertaking or recognized university or recognized research institute,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). Note1.- The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. The Joint Secretary, Conservation and Survey-II Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change-Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member; 3. Director, Zoological Survey of India, Kolkata-Member.	with the Union Public Service Commission is necessary in each case of appointment of officers through direct recruitment.

[F. No. 01/02/2021-CSZ]
VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA

Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.11.11 14:06:30 +05'30'